

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 47 / प्र०अ०-भवन / जोन-१ / २०१३-१४ दिनांक ०५/६/२०१३

### विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा ३२ के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर शमन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती शीला सिंह द्वारा पार्ट आफ साइट न०-६-३ सिविल स्टेशन इलाहाबाद जोन संख्या (१) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक १६.०५.२०१३ के द्वारा निम्नांकित प्रतिवन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :—

१. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ए (१) के प्राविधानों के अनुरूप भवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००८ में उपविधि संख्या—२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण—पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं तत्समय समस्त औपचारिकताये पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
३. स्थल पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
४. स्थल पर ०२ वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदिका का होगा।
५. स्थल का अधिष्ठोग / उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार करना होगा, जिसमें भूतल पर व्यवसायिक एवं प्रथम तल पर आवासीय उपयोग अनुमत्य किया गया है।
६. अशमनीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के १५ दिनों के अन्दर ध्वरत करना होगा तथा इस सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्र दिनांक २८.०५.२०१३ का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
७. अशमनीय भाग को गिराये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि जन-धन की किसी प्रकार की हानि न होने पाये, अन्यथा इसका उत्तर दायित्व आवेदिका / सम्बन्धित इन्जीनियर जिनके द्वारा स्ट्रक्चरल सेफटी प्रमाण—पत्र प्ररुत्त किया गया है का होगा।
८. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
९. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
१०. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (९) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
११. यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ०प्र० ०० द्वारा नियमानुसार उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की सुरक्षा धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
१२. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
१३. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम १९५६ (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स १९६५) नियम ८२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे नियम को रोक अथवा हटवा सकता है।
१४. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
१५. यदि नियम में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो नियमानुसार को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया नियम अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

प्रधानमंत्री प्रतीक विनियमितीकरण  
प्रधान प्राप्त विनियम

३१/२०३

(गुडाकेश शर्मा)  
संयुक्त सचिव / प्र०अ०-भवन  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
इलाहाबाद

